न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1061 सन 2026
CNR No. UPSP 01003246 2026

सादिक पुत्र इकराम निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0– 1021/2025
धारा–303 (2), 317 (2) बी0एन0एस0
थाना–देवबन्द सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सादिक** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमती बानो पत्नी इकराम का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया श्रीमती कमलेश द्वारा थाना देवबन्द सहारनपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 17.11.2025 की रात्रि में उसके घर के सामने घेर में बंधी चार भैसो को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। काफी तलाश के बाद भी उनकी भैस का कोई पता नहीं चल पाया।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित अभिकथनो का समर्थन करते हुए यह बहस की गई है कि पुलिस द्वारा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। अभियुक्त इस मामले मे दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे इस मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रो का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में वादिया द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा उसके घेर में बंधी चार भैसो को चोरी करने के सम्बन्ध में थाना पर दी गयी तहरीर के आधार पर यह अभियोग अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना तथा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर दबिश दिये जाने पर मौके से चोरी की भैस बरामद होन तथा अभियुक्तगण को मौके से भागना दर्शित है। उक्त बरामदगी के आधार पर विवेचक द्वारा इस मामले में धारा–317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त इस मामले में दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय तथा सात वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा थाना से प्राप्त आपराधिक

इतिहास में दर्शित मामलो में अभियुक्त को जमानत पर होने का तर्क किया गया है तथा अपने तर्क के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल की गयी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सादिक** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन पच्चीस हजार रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्त स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

2.आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4.अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उनकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 18.03.2026 **सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।**
I.D.UP-1891